



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]
Sl. 33]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14, 1982/श्रावण 23, 1904
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 1982/SRAVANA 23, 1904

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(एक मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1982

सं० का० वि० 680.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि न्याय, और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (केन्द्रीय सरकार के मुख्याई, दिल्ली और कलकत्ता स्थित अधिवक्ता) भर्ती नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (केन्द्रीय सरकार के मुख्याई, दिल्ली और कलकत्ता स्थित अधिवक्ता) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (केन्द्रीय सरकार के मुख्याई, दिल्ली और कलकत्ता स्थित अधिवक्ता) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में स्तंभ 7 के नीचे टिप्पण (2) में

“सांलिसिटर” शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“द्वितीय सांलिसिटर, भारत सरकार”।

टिप्पण. मूल नियम अधिसूचना सं० सा० का० वि० 184 तारीख 10 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और इससे पूर्व कोई संशोधन नहीं किए गए हैं।

[ए० 11013/8/81-प्रसा० 1 (वि० का०)]
एन० के० सेठ, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 2nd July, 1982

G.S.R. 680.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs (Central Government Advocates, Bombay, Delhi and Calcutta) Recruitment Rules, 1978, namely:—

1. (i) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Deptt. of Legal Affairs, (Central Government Advocates, Bombay, Delhi and Calcutta) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

सां. कां. निं. 691.—केन्द्रीय सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 5 की उपधारा 7 के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (2) द्वारा प्ररतन पत्रियों का प्रयोग करते हुए जावपुर विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरी के रिसर्च प्रोफेसर तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी के अध्यक्ष डा० (प्रोफेसर) निजय चौधरी को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड का 1 अगस्त, 1982 से कार्य करने वाली तीन वर्षों की एक मोर अवधि के लिए अध्यक्ष पद पर मनोनीत करती है।

[फा० सं० न्यू-15014/2/82-ई० पी० सी०]

कुमारी सुधा श्रोत्रिया, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi, the 31st July, 1982

G.S.R. 691.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 read with sub-section (7) of section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby nominates Dr. Nilay Chaudhuri, Research Professor of Civil Engineering and Head of Department of Environmental Engineering, Jadavpur University, as Chairman of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution for a further term of three years commencing from the 1st August, 1982.

[F. No. Q-15014/2/82-EPC]

Km. SUDHA SHROTRIA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1982

सां. कां. निं. 692.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 308 के परन्तुक द्वारा प्ररतन पत्रियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 25 के सामने शीता अनुसंधान अधिकारी के पद से संबंधित स्लम 7 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 6 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : प्रायु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अद्यतन और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) प्रावेन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी।"

टिप्पण : संक्षिप्त आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 नाम से शान मूल नियम सां. कां. निं. 24 तारीख 23-12-1963 द्वारा अधिसूचित किए गए। उसके पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं० 11/8/62-बी० (ए०), तारीख 9-4-1964

2. अधिसूचना सं० 11/11/62-बी० (ए०), तारीख 18-6-1964

3. अधिसूचना सं० 5/24/62-बी० (ए०), तारीख 31-8-1965

4. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी० (ए०), तारीख 17-9-1965

5. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी० (ए०), तारीख 27-11-1965 (सां.कां. निं. 1820, 11-2-65)

6. अधिसूचना सं० 13/78/62-बी० (ए०) तारीख 30-11-1965

7. अधिसूचना सं० 8/18/65-बी० (ए०), तारीख 28-7-1965

8. अधिसूचना सं० 11/8/65-बी० (ए०), तारीख 9-9-1966

9. अधिसूचना सं० 5/3/67-बी० (ए०), तारीख 7-10-1967

10. अधिसूचना सं० 6/107/65-टी० बी०, तारीख 3-7-1968

11. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी० (ए०) तारीख 13-9-1968

12. अधिसूचना सं० 7/5/68-बी० (ए०), तारीख 9-10-1968

13. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी० (ए०), तारीख 14-11-1968

14. अधिसूचना सं० 17/8/68-बी० (ए०), तारीख 6-6-1969

15. अधिसूचना सं० 17/6/68-बी० (ए०), तारीख 4-6-1969

16. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी० (ए०), तारीख 2-9-1969

17. अधिसूचना सं० 17/2/69-बी० (ए०), तारीख 19-11-1969

18. अधिसूचना सं० 17/1/69-बी० (ए०), तारीख 23-2-1970

19. अधिसूचना सं० 17/3/69-बी० (ए०), तारीख 16-9-1970

20. अधिसूचना सं० 1/2/70-बी० (ए०), तारीख 18-2-1971

21. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी० (ए०), तारीख 22-3-1971

22. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी० (ए०), तारीख 8-12-1971

23. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी० (ए०), तारीख 10-1-1972

24. अधिसूचना सं० 1/3/70-बी० (ए०), तारीख 18-5-1972

25. अधिसूचना सं० 1/9/71-बी० (ए०), तारीख 6-6-1972

26. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी (ए),
तारीख 13-6-1972.
27. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी (ए),
तारीख 30-9-1972.
28. अधिसूचना सं० 1/6/70-बी (ए),
तारीख 6-12-1972.
29. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी (ए),
तारीख 30-9-1972.
30. अधिसूचना सं० 5/39/70-टी बी,
तारीख 3-1-1973.
31. अधिसूचना सं० 1/4/73-बी (ए),
तारीख 2-6-1973.
32. अधिसूचना सं० 1/10/71-बी (ए),
तारीख 10-9-1973.
33. अधिसूचना सं० 1/2/73-बी (ए),
तारीख 29-9-1973.
34. अधिसूचना सं० 1/2/72-बी (ए),
तारीख 26-10-1974.
(सां कां निं 1195, 9-11-74)
35. अधिसूचना सं० 5/33/70-बी (ए),
तारीख 30-10-1974.
(सां कां निं 1220, 16-11-1974)
36. अधिसूचना सं० 1/8/73-बी (ए),
तारीख 18-11-1974.
37. अधिसूचना सं० 5/17/74-बी (ए),
तारीख 13-2-1975.
(सां कां निं 267, 22-2-1975)
38. अधिसूचना सं० 5/66/73-टी बी,
तारीख 5-4-1975.
39. अधिसूचना सं० 1/1/71-बी (ए),
तारीख 30-6-1975.
(सां कां निं 895, 10-7-1975)
40. अधिसूचना सं० 1/9/75-बी (ए),
तारीख 19-12-1975.
41. अधिसूचना सं० 1/8/75-बी (ए),
तारीख 20-2-1976.
42. अधिसूचना सं० 5/14/75-बी (ए),
तारीख 23-3-1976.
43. अधिसूचना सं० 5/10/76-बी (ए),
तारीख 7-5-1976.
44. अधिसूचना सं० 1/1/73-बी (ए),
तारीख 19-7-1976.
45. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी (ए),
तारीख 16-8-1977.
(सां कां निं 1184, 10-9-77)
46. अधिसूचना सं० 12019/7/77-बी (ए), तारीख 15-9-1977.
(सां कां निं 1358, 8-10-1977)
47. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी (ए),
तारीख 15-12-1977.
48. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी (ए),
तारीख 20-2-1978.
49. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी (ए),
तारीख 5-5-1978.
50. अधिसूचना सं० 12019/8/78-बी (ए),
तारीख 26-12-1978.
(सां कां निं 94, 20-1-79)
51. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी (ए),
तारीख 18-4-1978.
52. अधिसूचना सं० 12018/1/76-बी (ए),
तारीख 18-7-1980.
53. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी (ए),
तारीख 1-11-1980.
54. अधिसूचना सं० 12019/9/77-बी (ए),
तारीख 9-1-1981.
55. अधिसूचना सं० 12024/13/76-बी (ए),
तारीख 8-7-1981
(सां कां निं 723, 1-8-1981)
56. अधिसूचना सं० 12019/1/81-बी (ए),
तारीख 26-9-1981
57. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी (ए),
तारीख 31-8-1981.
(सां कां निं 860, 19-9-1981)

[संख्या 12018/4/76-बी (ए)]
प्रारंभ श्री. जोशी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st July, 1982

G.S.R.692.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rule further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1953, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, against serial number 25 relating to the post of Audience Research Officer for the entry under column 7 the following entry shall be substituted, namely:—

"Not exceeding 35 years (relaxable upto 5 years for Government servants).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

[No : 12018/4/76-B(A)]

R.D. JOSHI, Under Secy.

Note :— The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24, dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-4-1964.
2. Notification No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964.
3. Notification No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965.
4. Notification No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965.
5. Notification No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 (GSR No. 1820, dt. 11-12-65).
6. Notification No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965.
7. Notification No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-1965.
8. Notification No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966.
9. Notification No. 5/3/67-B(A), dated 6-10-1967.
10. Notification No. 6/107/65-TV, dated 3-7-1968.
11. Notification No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-1968.
12. Notification No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968.
13. Notification No. 5/12/68-B(A), dated 14-11-1968.
14. Notification No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969.
15. Notification No. 17/6/68-B(A), dated 4-6-1969.
16. Notification No. 11/5/63-B(A), dated 2-9-1969.
17. Notification No. 17/2/69-B(A), dated 19-11-1969.
18. Notification No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1970.
19. Notification No. 17/3/69-B(A), dated 16-9-1970.
20. Notification No. 1/2/70-B(A), dated 18-9-1971.
21. Notification No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971.
22. Notification No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-1971.
23. Notification No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972.
24. Notification No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972.
25. Notification No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972.
26. Notification No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-1972.
27. Notification No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
28. Notification No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-1972.
29. Notification No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
30. Notification No. 5/39/70-TV, dated 3-1-1973.
31. Notification No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973.
32. Notification No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973.
33. Notification No. 1/2/73-B(A), dated 29-9-1973.
34. Notification No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-1974. (GSR No. 1195, 9-11-74)
35. Notification No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-1974. (GSR 1220, 16-11-74)
36. Notification No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-1974.
37. Notification No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-1975. (GSR No. 267, 22-2-75)
38. Notification No. 5/66/73-T.V., dated 5-4-1975.
39. Notification No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975. (GSR No. 895, 19-7-75)
40. Notification No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-1975.
41. Notification No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1976.
42. Notification No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-1976.
43. Notification No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-1976.
44. Notification No. 1/1/73-B(A), dated 19-7-1976.
45. Notification No. 12018/5/76-B(A), dt. 16-8-1977. (GSR No. 1184, 10-9-77)
46. Notification No. 12019/7/77-B(A), dt. 15-9-1977 (GSR No. 1358, 8-10-77)
47. Notification No. 12018/5/76-B(A), dt. 15-12-1977.
48. Notification No. 12018/4/76-B(A), dt. 20-2-1978.
49. Notification No. 12018/5/76-B(A), dt. 5-5-1978.
50. Notification No. 12019/8/78-B(A), dt. 26-12-1978 (GSR No. 94, 20-1-79)
51. Notification No. 12018/5/76-B(A), dt. 18-4-1978.
52. Notification No. 12018/1/76-B(A), dt. 18-7-1980.

53. Notification No. 12018/5/76-B(A),
dt. 1-11-1980.
54. Notification No. 12019/9/77-B (A),
dt. 9-1-1981.
55. Notification No. 12024/(13/76-B(A),
dt. 8-7-1981. (GSR No. 722, 1-8-81).
56. Notification No. 12019/1/81-B(A),
dt. 26-9-1981.
57. Notification No. 12018/1/81-B(A),
dt. 31-8-1981. (GSR No. 860, 19-9-79).

[No. 12018/4/76-B(A);
R. D. JOSHI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1982

सूचि-पत्र

सं० का०नि० 693 — इस मंत्रालय की 11-6-1982 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा जारी किये गये रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (राजभाषा निदेशालय में राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 की अधिसूची की मख 1 धर्मात् (क) उप निदेशक (राजभाषा), (ख) हिंदी अधिकारी के काममें 11 के अधीन शीर्ष "पदोन्नति" में निर्दिष्ट वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए:—

"पदोन्नति :

अनुभाग अधिकारी (हिंदी) के ग्रेड में, आठ वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें सहायक हिंदी अधिकारी प्रथम संपूरक अधिकारी (राजभाषा) के ग्रेड में की गयी सेवा, यदि कोई हो, शामिल है।"

[सं० ई कार. बी आई 1/77/37/3]

हिम्मत सिंह, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th July, 1982

G.S.R. 693.—In the Ministry of Railways (Railway Board) (Gazetted Posts in the Official Language Directorate) Recruitment Rules, 1982, issued vide this Ministry's notification of even number dated 11-6-1982 existing entry under the head 'Promotion' appearing in the Schedule under column 11 against item 1 viz. (a) Deputy Director (Official Language), (b) Hindi Officer shall read as under

"Promotion

Section Officer (Hindi), with 8 years' regular service in the grade including service, if any, in the grade of Assistant Hindi Officer or Liaison Officer (Official Language)."

[No. ERBI/77/37/3]

HIMAT SINGH, Secy. Railway Board.

Ex-officio Jt. Secy.